

501/02

19500/-



37
84



01BB 686523



Cancelled

मैं डी० एस० राठौर प्रभारी अधि-
 कारी {तम्पत्ति} धिकात प्राधिकरण
 लखनऊ पदटाकता की ओर से एवं



[Signature]
 प्रभारी अधिकारी (लखनऊ)
 लखनऊ विकास प्राधिकरण
 लखनऊ



[Signature]
 प्रभारी अधिकारी

संख्या 13239
 दिनांक 13/11/02



॥ 2 ॥

श्री अविनाश जैन आयु लगभग 38 वर्ष

पुत्र श्री शिखर चन्द जैन एवं श्रीमती

तंगीता जैन आयु लगभग 35 वर्ष पत्नी

श्री अविनाश जैन निवाती भवन तंड्या-7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



प्रकारी अधिकारी (सहस्रि)
सचनक विहाय प्राविशरण
सचनक

प्रकारी अधिकारी (सहस्रि)
सचनक विहाय प्राविशरण
सचनक

नकल सं०
गठन किया
प्रवण किया
3239

Cancelled

1000R



कि
2000
की है
उत्तरे
है।
(निर्देश)
तक
7.02

॥ 3 ॥

Cancelled

लारेन्त टेरेंट कालोनी लखनऊ पददेदार

की ओर से मूकड संख्या-7 स्थित

लारेन्त टेरेंट कालोनी लखनऊ के तम्बन्ध

में कुल प्रीमियम मूल्य स्वया-177/40=50

रु० 10 वर्ष का लीज रेंट स्वया-177/14 मात्र

[Handwritten signatures and stamps]
[Fingerprints]

भारतीय न्यायपालिका (संविधान)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
सचनक

कल से
रतन किया
प्रवण किया
13239



॥ 4 ॥

की शर्त में यह बंटा विलेख निष्पा-

दित कर रहा है जिसका मानचित्र

तथा बंटे के सम्बन्धित नियम एवं

शर्तों साथ में संलग्न छे हुए बंटा विलेख

कार्य में विस्तृत रूप से उल्लिखित की

प्रकारी अफिसारी (नियति)
 सखनऊ विकास प्राधिकरण
 सखनऊ
 प्रकारी अफिसारी (नियति)
 सखनऊ विकास प्राधिकरण
 सखनऊ



Cancelled

नकल सं० —
 पठन किया — 3239
 भ्रमण किया —



॥ 5 ॥

Cancelled

गयी हैं। यह विलेख इत गरी के
ताथ निष्पादित किया जाता है
कियादि कित्ती भी स्तर पर वास्त-
विक धनराशि पूर्ण रूप से जमा नहीं
हुई है तो सद्वेदार उसे तब्याज

Agar

~~*[Signature]*~~

~~*[Signature]*~~
ग्रामारी (नम्बर्) 6
सखनऊ विकास प्राधिकरण
सखनऊ
ग्रामारी (नम्बर्) 6
सखनऊ विकास प्राधिकरण
सखनऊ

[Signature]

[Signature]

नकल सं०— 13239
यहन किया
प्रवण किया



॥ 6 ॥

लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमा करने का उत्तरदायी होगा।

प्रभारी अधिकारी (नस्बत)
पट्टा देवारी की प्रतिकृति
प्रभारी अधिकारी (नस्बत)
विकास प्राधिकरण लखनऊ।



1- गवाह:- श्री राम चंद्र प्रसाद
पता:- विकास प्राधिकरण लखनऊ।

2- गवाह:-
पता:- 555 K/110/13, Noida, Uttar Pradesh.
Muzra, Adampur, Meerut, U.P.

टाईपकर्ता:-
प्रभारी अधिकारी (नस्बत)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

Camekhey


नकल सं०—
पठन किया—
प्रतः क्रमांक 13239

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

SHOWING LEASE PLAN OF HOUSE NO-7, LAWRENCE TERRACE AT LAWRENCE TERRACE SCHEME, LUCKNOW

BOUNDARY:	
TOTAL AREA: 1933.27	
COVERED AREA: 1325.19	1325.19
UNCOVERED AREA: 608.08	608.08
STAIR CASE: 14.87	14.87
OPEN PASSAGE: 20.23	20.23
GARAGE: 24.85	24.85
TOTAL: 1623.27	1623.27

Cancelled



PLAN. (FIRST FLOOR), 7-LAWRENCE TERRACE

धमारी व विकारी (गणपति)
 सखनक विकास प्राधिकरण
 सखनक

धमारी व विकारी (गणपति)
 सखनक विकास प्राधिकरण
 सखनक 14-7-85

(Handwritten signatures and stamps)
 (R.R. MISHRA)

नकल से
 पठन किया - 3 2 3 9
 प्रयोजन के लिए



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विक्रय / पट्टा विलेख

Cancelled

84

यह विलेख राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974 के अधीन गठित निकाय लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, 6, नगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ के माध्यम से) जिसे कि इस विलेख में आगे विक्रेता/पट्टाकर्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा।

प्रथम पक्ष

श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती अनामिका देवी एवम् श्री अशोक कुमार
 वर्ष पुत्र/पत्नी/पुत्री उम्र लगभग 30 वर्ष 25 वर्ष
 श्री श्री अनामिका देवी निवासी 2, हाटवट रोड, लखनऊ
2-2-001

जिस कि इस विलेख में आगे क्रेता/पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता/पट्टेदार स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया। (जिसे कि इस विलेख में क्रेता/पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता/पट्टेदार स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

चूंकि शासनादेश दिनांक 16 जून, 1993 के द्वारा समस्त इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा बनवाई गई और किराये पर उठाई गई सम्पत्तियाँ, जो बाद में विकास प्राधिकरण के गठन पर, विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं बनवाई गई और किराये पर उठाई गई अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु भवन का विक्रय करने तथा तत्सम्बन्धित भूमि को कुछ निश्चित नियम एवं शर्तों के अधीन 30 वर्ष के पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था की गई है तथा तत्सम्बन्धित शासनादेशों पर विचार करने के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति द्वारा तदनुसार नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा किराये पर आवन्तित आवासीय/अमितव्ययी व्यवसायिक/सम्पत्तियों के विक्रय/पट्टा हेतु पंजीकरण पुस्तिका जारी की गई है।

चूंकि द्वितीय पक्ष इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई सम्पत्ति जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है, के भूतल/प्रथम तल/द्वितीय तल में रूपया प्रति माह का किरायेदार है तथा किराये पर उठाई गई अमितव्ययी के हेतु जारी की गई पंजीकरण पुस्तिका के नियमों के अनुसार 100 रूपया का बैंक ड्रापट/पे आर्डर बैंक संख्या 8639 जो कि

Cancelled

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
 लखनऊ विकास प्राधिकरण
 लखनऊ

श्रीमती (सम्पत्ति)
 प्राधिकरण

नकल सं०
 गठन किया
 पृष्ठ 3239

खेती/लघुविकास

बैंक शाखा के द्वारा दिनांक को जारी किया गया है। उसे सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम दिनांक को प्रेषित कर दिया है तथा आवेदन-पत्र साथ में संलग्न कर दिया है तथा शपथ-पत्र देते हुए पट्टाकर्ता/ विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को विश्वास दिलाया है कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति को कय करने में तत्सम्बन्धित भूमि को पट्टे पर लेने हेतु एकमात्र व्यक्ति है एवं वही समय-समय पर जारी किये गये नियम एवं शर्तों का यथावत पालन करता रहेगा।

चूंकि निर्धारित नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष की किरायेदारी वाले निर्मित आवास/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का गणना द्वारा रु० मूल्य निर्धारित किया गया है व उक्त इकाई के साथ तत्सम्बन्धित 30 वर्षीय पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का प्रीमियम मूल्य 177140 रूपया निर्धारित किया गया है। जिसका लीजरेन्ट प्रतिवर्ष 177140 रूपया होगा तथा क्रेता/द्वितीय पक्ष ने प्रश्नगत सम्पत्ति जो कि इस विलेख के माध्यम से विक्रीत अन्तर्गत की जा रही है उसका सम्पूर्ण विक्रय मूल्य 17521140 व प्रीमियम शुल्क तथा 10 वर्ष का एक मुश्त लीजरेन्ट जमा कर दिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है।


अतः यह विक्रय पत्र व पट्टा विलेख निम्न प्रकार से संदर्भित करता है

1. यह कि उपरोक्तानुसार मूल्य प्राप्त करने के फलस्वरूप विक्रेता/पट्टाकर्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण एतद्वारा प्राविधान करता है और लिखे देता है कि उपरिलिखित सम्पत्ति इकाई संख्या रक्बा 104.2M2 वर्गफुट जो कि गोरखपुर जिला योजना में एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल भवन के रूप में एकल/संयुक्त रूप से पृथक-पृथक निर्मित है तथा जिसे इस विलेख के साथ में संलग्न मानचित्र में निर्मित की लाल रंग से दर्शाया गया है तथा जिसका विस्तृत विवरण विलेख के अन्त में सम्पत्ति अनुसूची के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उस निर्मित इकाई टेनामेन्ट को पूर्ण रूप से क्रेता के पक्ष में सदैव के लिए विक्रय कर दिया गया है तथा टेनामेन्ट/भवन सम्बन्धी पूर्ण स्वामित्वाधिकार क्रेता को सौंप दिये गये हैं। क्रेता के लिए यह उचित होगा कि वह अपने नाम से नगर महापालिका तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर अपना नाम दाखिल-खारिज करवाये तथा भवन कर, विद्युत कर अथवा किसी अन्य देय शुल्क/कर जो विधि अनुरूप निर्धारित किया जाये उसकी अदायगी करे।
2. यह कि टेनामेन्ट के स्वामी द्वारा निर्मित इकाई से सम्बद्ध भूमि जिसका क्षेत्रफल 104.2M2 वर्गफुट है। उसके प्रीमियम मूल्य रु० 177140 (रु० 177140) व एक मुश्त 10 वर्ष का लीजरेन्ट के फलस्वरूप 30 वर्षीय पट्टे पर एतद्वारा आवंटित करते हुए यह पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया गया है।
3. यह कि क्रेता उक्त टेनामेन्ट में किरायेदार होने, नामित होने के कारण पहले से ही अध्यासन में है तथा इस विलेख द्वारा विक्रीत/अन्तर्गत सम्पत्ति का संवैधानिक कब्जा भी आज दिनांक से नामित करने वाले मूल किरायेदार द्वारा उसे सौंप दिया गया है। क्रेता/पट्टेदार इस हेतु वचनबद्ध है कि आगे प्रस्तर्तों में उल्लिखित नियम शर्त तथा प्राविधानों का वह पालन करता रहेगा तथा कई इकाई होने की स्थिति में संलग्न अथवा ऊपर नीचे की इकाई हेतु प्राकृतिक न्याय की दृष्टि में जो सहयोग अपेक्षित होगा उसे किया जायेगा।

~~Handwritten signatures and stamps, mostly illegible due to blurring and redaction.~~

प्रासादी अधिकारी (मन्वनि)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

प्रासादी अधिकारी (मन्वनि)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ



तकल सं०- 13239
पडन किया
धना किया

Cancelled

Handwritten mark

(3)

858

4. यह कि प्राविधान यह है कि मुख्य मार्ग से आवागमन के रास्ते व जीने का स्वामित्व किसी एक पक्ष के पास पूर्णतः नहीं रहेगा। यदि प्रथम तल पर संयुक्त रूप से निर्मित भवन में दो आवासीय इकाइयाँ होंगी तो दोनों लोगों कः उक्त आवागमन का मार्ग एवं जीने पर सामान्य अधिकार एवं सामान्य उत्तरदायित्व रहेगा। इसी प्रकार से द्वितीय तल निर्मित होने की स्थिति में उक्त तलवाओं भी आवागमन के मार्ग व जीने में सामान्य रूप से भागीदारी एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु बाध्य होगा।

5. यह कि प्रथम तल एवं द्वितीय तल स्थिति निर्मित इकाई का विक्रय करने के फलस्वरूप यद्यपि स्वामित्व सम्बन्धी समस्त अधिकार क्रेता में निहित कर दिये गये हैं परन्तु ऊपरी छत पर स्थायी रूप से निर्माण कराने के लिये कोई भी पक्ष अधिकृत नहीं होगा। प्राविधान यह भी है कि जिस योजना में दो या तीन या कई जितने भी भवन प्रथम तल पर पृथक इकाई के रूप में निर्मित है इन सभी इकाइयों को अपनी-अपनी छत पर प्रयोग करने का सामान्य अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् यदि दो भवनों की इकाई है तो पूरी छत के आधे हिस्से का प्रयोग एक इकाई तथा शेष आधे हिस्से का प्रयोग दूसरी इकाई के द्वारा किया जायेगा। इसी के साथ-साथ विशेष रूप से प्राविधान यह है कि उक्त छत को प्रयोग करने के लिये अधिकारिक रूप से भूतल निवासी किसी भी रूप में अधिकृत नहीं होगा। इस क्रम में प्राविधान यह भी किया जाता है कि यदि कोई भवन दो मंजिला के बजाय तील मंजिला निर्मित हो तो भूतल को छोड़कर प्रथम तल व द्वितीय तल निवासी उक्त सर्वोच्च छत में से आधे-आधे भाग को प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंगे।

6. यह कि सर्विस लेन का आवंटन नहीं किया गया है अतः भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के किसी भी निवासी को सर्विस लेन पर किसी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थायी निर्माण करने तथा उसे अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

7. यह कि किसी तल के निवासी द्वारा भवन में कोई भी निर्माण विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करा सकेगा। बिना अनुमति के प्रश्नगत भवन के कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना कोई निर्माण कराया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये पक्षकार स्वयं जिम्मेवार होगा। जो निर्माण वर्तमान समय में निर्मित के रूप में विक्रय किया गया है उसे इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। यदि कोई पक्ष निर्माण करना चाहे तो उसके लिए प्राधिकरण और भवन के सह स्वामी की अनामति भी आवश्यक होगी। ऊपरी छत पर किसी प्रकार का कोई स्थायी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

8. यह कि भवन क्रेता पालिका करों, शुल्कों व अन्य देयों के लिये उत्तरदायी होगा।

9. यह कि सभी भवन जैसे हैं जहाँ है के सिद्धान्त पर विक्रय किये गये हैं। कोई भी क्रेता इन सम्बन्ध में अथवा भवन की स्थिति/हालत के सम्बन्ध में विक्रेता/लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई शिकायत करने अथवा उसके विरुद्ध कोई उपशम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. यह कि भूतल के ऊपर स्थित सभी तलों के निवासियों का यह कर्तव्य होगा कि किसी प्रकार की सीवर/वाटर लाइन में टूट-फूट या रिसाव न आने दें तथा ऐसा होने पर तुरन्त अपने तल की ऊचाई तक प्रत्येक तलवासी अपने पैसे से उसकी भली-भाँति मरम्मत करवाने के लिए बाध्य होगा। यदि विजल कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन अथवा अन्य किसी भी नियमानुसार कनेक्शन सिये जाने हेतु सीढ़ी लगाने की अथवा अस्थायी रूप से भूमि पर से आधार लेने की आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में भूतल वासी कोई आपत्ति नहीं करेगा तथा ऊपरी तल स्थित कार्य एवं मरम्मत में अधिकतम सहयोग करेगा।

पकारी अधिकारी/नियन्त्री पकारी अधिकारी/नियन्त्री
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ लखनऊ


~~Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and several illegible signatures.~~

~~Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and several illegible signatures.~~

Cancelled

सं०—
किया—
13-2-39

11. यह कि किसी भी तल का कोई भी निवासी विक्रीत इकाई में किसी प्रकार को कोई एक्सप्लोसिव न तो प्रयोग में लायेगा और न किसी को प्रयोग करने की कोई अनुमति ही लेगा।
12. यह कि भूतल से ऊपर के निवासी की इकाई का क्षेत्रफल जितना होगा वह केवल आच्छादित क्षेत्रफल की भूमि के लिए ही अधिकृत होगा। आवागमन का मार्ग तथा जीना इत्यादि किसी के स्वामित्व में एकमात्र रूप से नहीं रहेगा तथा उक्त मार्ग पर कोई निवासी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
13. यह कि भूतल से ऊपर का कोई भी निवासी अपनी फर्श पर किसी प्रकार की कोई ऐसी चोट नहीं पहुँचायेगा जिससे कि भवन निर्माण को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे अथवा कोई नुकसान हो।
14. यह कि पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भूतल, के ऊपर निर्मित इकाई केवल उतने क्षेत्रफल भूमि के लिए अधिकृत होंगे जितना क्षेत्रफल निर्मित अवस्था में विक्रय किया गया है व उन्हें भूमि का पट्टा किया गया है। परन्तु उक्त भूमि के अतिरिक्त भूतल पर अन्य जो भी भूमि, लॉन इत्यादि होगा वह सब भूतल वारी के प्रयोग एवं पट्टे के अन्तर्गत रहेगा।
15. यह कि अस विक्रय/पट्टा अभिलेख से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार के विवादों की सुनवाई एवं निरस्तारण का क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों को ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत की गई शिकायत का निरस्तारण किसी अन्य स्थान पर स्थित न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई पक्ष किसी अन्य स्थान पर वाद अथवा शिकायत सरिथत करे तो वह वाद इस विलेखमें अंकित इस प्रस्तर के प्रकाश में न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया जाय। इस हेतु दोनों पक्षकार सहमत हैं।
16. यह कि एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में जहाँ कहीं भी विक्रय विक्रेता अथवा क्रय इत्यादि का उल्लेख किया गया है वह केवल निर्मित स्थल/टेनामेन्ट से ही सम्बन्धित है। उसका भाव किसी भी स्थिति में पट्टे पर दी गयी भूमि से सम्बन्धित नहीं समझा जायेगा।
17. यह कि विक्रीत/अन्तरित सम्पत्ति वार्ड इ. जे. 27. 11. 71 में स्थित है।
18. यह कि इस विलेख पर स्टैम्प शुल्क की अदायगी हेतु मूल्यांकन निम्न प्रकार से है :-
 (क) निर्मित टेनामेन्ट का विक्रय मूल्य 17,71,400 रु०। तत्सम्बन्धित पट्टे पर आवन्तित भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य 17,71,400 रु०। एकमुश्त जमा किया गया लीजरेन्ट 17,71,400 रु०। इस प्रकार सबको मिलाकर मूल्यांकन 17,71,400 रु० होता है।
 (ख) यह कि अन्तरित/विक्रीत सम्पत्ति 17,71,400 रु० प्रतिमाह किराये पर आवन्तित थी जिसका 300 गुणा किये जाने पर मूल्यांकन 5,31,42,000 रु० होता है।
 अतः अधिकतम मूल्यांकन पर स्टैम्प शुल्क की अदायगी कर दी गई है।
 अतः प्रमाणपत्र के तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रभारी अधिकारी व क्रेता/पट्टेदार की तरफ से स्वयं उसने/उसके द्वारा अधिकृत मुख्तार ने अपने स्वस्थ चित्त होकर साक्षियों की उपस्थित में इस विलेख में दशित नियम एवं शर्तों के स्वीकृत स्वरूप 6, जे० सी० बोर मार्ग, लखनऊ में अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर दिनांकित किया।



प्रभारी अधिकारी (क्रेता)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

प्रभारी अधिकारी (क्रेता)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

नकल सं०

पठन किया

भरण किया

13239

(5)

251

सम्पत्ति अनुसूची

- (क) विक्रीत निर्मित इकाई सं० 7 निर्मित खण्ड सं० 7
 भूतल/प्रथम तल/द्वितीय तल एवं उसका क्षेत्रफल जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-
 पूरब - Road पश्चिम - openland
 उत्तर - Flat No 5a दक्षिण - Road
 योजना का नाम लखनऊ टेरस आलीजी लखनऊ
 उक्त निर्मित विक्रय की गई इकाई को साथ में संलग्न मानचित्र/लीज प्लान में लाल रंग से व आवागमन के मार्ग तथा जीने को गहरे नीले रंग से रेखांकित व चिह्नित किया गया है।
- (ख) विक्रीत निर्मित इकाई से सम्बन्धित पट्टे पर दी गई भूमि की संख्या व क्षेत्रफल.....

क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्मित क्षेत्रफल क्रय करने व पट्टे पर ली गई भूमि के फलस्वरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण को अदा किये गये प्रतिफल का विवरण

प्रथम - एक मुश्त द्वितीय -
 तृतीय - चतुर्थ -

गवाह :-

1. नाम : डॉ. राजेश कुमार
 पिता का नाम : डॉ. राम कुमार
 पता : अ. 13 ए. लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण
 विक्रेता/पट्टाकता
 लखनऊ विकास प्राधिकरण
 लखनऊ

2. नाम : Nirudi
Manoj Kant Tripathi
 पिता का नाम Suk K. Tripathi
 पता 555KA/110/13, Bhola Khora
Subhasi Nagar, Alambagh
Luxembourg

22/7/2022

लखनऊ विकास प्राधिकरण
 लखनऊ



Conceal

नेकल सं०
 पठन किया
 प्रदम किया 13239

Chaudhary

दिनांक 24/7/2002 3/04
पुस्तक संख्या 317/340
उप क्रम संख्या 507/21
उप निदेशक (द्वितीय)

लखनऊ

छाया प्रति प्रमाणित

उप निदेशक (द्वितीय)
लखनऊ

28/7/21